



वकील

2026:AHC:1940

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 2123, वर्ष 2025

अजय

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं)केअधिवक्ता

: रमेशचंद्र

प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, सुनील कुमार सिंह

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश चंद्रा, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार चौरसिया और प्रतिवादी-गांव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार सिंह को सुना गया।

2. तत्काल याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"i. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत 2024 के कंप्यूटरीकृत मामले संख्या T202411730615290 (एलएमसी बासपुर बनाम मनोज) की कार्यवाही तय करने के लिए प्रतिवादी संख्या 4 को निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जो कि तहसीलदार धौलाना, जिला हापुड़ के न्यायालय में लंबित है।"

3. इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, व्यक्तिगत हलफनामा दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि निजी प्रतिवादी संख्या 6 के खिलाफ यूपी राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही पहले ही दर्ज की जा चुकी है और इसका निर्णय कानून के अनुसार किया जाएगा।

4. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 6 के खिलाफ तहसीलदार के समक्ष लंबित है, त्वरित जनहित याचिका का अंततः प्रतिवादी संख्या 4/तहसीलदार को निर्देश दिया जाता

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



है कि वे पार्टियों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत उपरोक्त कार्यवाही पर शीघ्रता से निर्णय लें।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

6 जनवरी 2026
रमीज़

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"